सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांक: निशुल्क यूनिफार्म/ 338 /2013–14 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2013

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं तत्सम्बन्धी राज्य सरकार की नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 की भारत सरकार की प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा **राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध पूर्व माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के समस्त बालकों** को ₹ 400/– प्रति छात्र–छात्रा की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दो सेट यूनिफार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की कार्ययोजना की संस्तुति की गयी है।

उक्त कार्ययोजना हेतु आवश्यक धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर जनपदों को आवंटित की जायेगी। निःशुल्क यूनिफार्म वितरण से सम्बन्धित अन्य तैयारियां समय से किया जाना अपेक्षित है।

निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु तैयारियों के निर्देश निम्नवत हैं :–

1. उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी बालिकाओं तथा अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बी0पी0एल0 परिवार के बालकों को 02 सेट निःशुल्क यूनिफार्म निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।

2. यूनिफार्म की अधिप्राप्ति (procurement) स्कूल स्तर पर विकेन्द्रित (decentralized) होगी, राज्य, जिला अथवा ब्लाक स्तर पर कोई भी केन्द्रीकृत अधिप्राप्तियां (centralized procurement) नहीं की जायेंगी।

3. सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय निगमों, संस्थाओं एवं राज्य/केन्द्रीय संस्थाओं को आपूर्ति हेतु कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।

4. कक्षा 1–5 के छात्र–छात्राओं तथा कक्षा 6–8 के छात्र–छात्राओं के लिए प्रति यूनिफार्म हेतु ₹ 200/– की धनराशि के अनुसार 02 सेट हेतु ₹ 400/– की धनराशि अनुमन्य है।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780996, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

5. परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफार्म की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में हस्तान्तरित करायी जायेगी।

6. राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों में यह धनराशि उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर उनकी मांग के अनुसार यथा स्थिति विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के खाते / विद्यालय प्रबन्ध द्वारा सूचित सम्बन्धित विद्यालय के खाते में चेक से उपलब्ध करायी जायेगी जिसके उपभोग का प्रमाणपत्र उक्त विद्यालयों को उपलब्ध कराना होगा।

7. यूनिफार्म की आपूर्ति हेतु कार्यवाही विकेन्द्रीकृत रूप में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित चार सदस्यीय क्रय समिति द्वारा की जायेगी। किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर निःशुल्क यूनिफार्म के क्रय की कार्यवाही का केन्द्रीकरण नहीं किया जायेगा।

8. एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, उप/सहायक श्रमायुक्त, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सम्बन्धित जनपद की सांख्यिकी मांग के अनुसार सूचित खाते में चेक द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जिसका उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किया जोयगा।

9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु धनराशि सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयवार छात्र–छात्राओं की उपस्थिति प्राप्त कर तद्नुसार धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित की जाये। छात्र–छात्राओं की विद्यालयवार उपस्थिति उपलब्ध कराने का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

11. दिनांक 15.05.2013 से 31.05.2013 की अवधि में विद्यालय में नामांकित समस्त छात्र–छात्राओं को नाप के अनुसार यूनिफार्म प्राप्त कराया जायेगा।

12. परिषदीय विद्यालयों में यूनिफार्म का रंग तथा स्पेसिफिकेशन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांकः बे0शि0प0/17451–539/2005–06 दिनांक 02.12.2005 के अनुसार रखा जायेगा। (छायाप्रति संलग्न)

13. राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों में यूनिफार्म का रंग तथा स्पेसिफिकेशन विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति /विद्यालय प्रबन्ध द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

14. यूनिफार्म की आपूर्ति हेतु विद्यालय की क्रय समिति में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा नामित 2 सदस्य रहेंगे। यह समिति यूनिफार्म के स्पेसिफिकेशन तथा कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8 के बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक संख्या का उल्लेख करते हुए रूपया एक लाख तक के क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त करेगी। क्रयादेश की धनराशि रूपया एक लाख से अधिक होने पर टेन्डर की कार्यवाही की जाये। आपूर्तिकर्ताओं से कपड़े का सैम्पल तथा दरें मांगी जायेंगी, जो पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा। क्रय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्र–छात्राओं को उत्तम गुणवत्ता की यूनिफार्म उपलब्ध करायी जाये।

15. कोटेशन प्राप्त करने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाय। विद्यालय, पंचायत भवन, ब्लाक संसाधन केन्द्र (BRC) एवं ग्राम के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर इस हेतु नोटिस भी चस्पा की जाय।

--3--

16. कोटेशनदाताओ द्वारा उपलब्ध कराये गये कोटेशन तथा कपड़े/यूनिफार्म (ड्रेस) का मूल्यांकन विद्यालय की क्रय समिति द्वारा किया जायेगा तथा प्राप्त कोटेशनों के आधार पर तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी तथा उसके आधार पर गुणवत्तायुक्त कपड़े/यूनिफार्म (ड्रेस) का क्रयादेश न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता को दिया जायेगा। क्रयादेश में आपूर्ति की अंतिम तिथि अवश्य अंकित की जाये।

17. यूनिफार्म हेतु आपूर्ति किये गये कपड़े तथा पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन सैम्पल में मेल न होने की स्थिति में उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

18. समय से तथा शर्तों के अनुसार कपड़ा/ड्रेस उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बन्धित पर पेनाल्टी का निर्धारण किया जायेगा।

19. आपूर्ति यूनिफार्म का तकनीकी निरीक्षण/परीक्षण विद्यालय की समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक एवं एक अन्य सदस्य सम्मिलित होगें। विद्यालय में प्राप्त समस्त यूनिफार्म का सर्व प्रथम स्टॉक रजिस्टर में अंकन किया जायेगा तथा बच्चों को यूनिफार्म रजिस्टर में उनके माता-पिता/अविभावक के हस्ताक्षर कराने के उपरान्त दी जायेगी। **छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म का वितरण 23.07.2013 से प्रारम्भ कर 31.07.2013 तक** वितरण सुनिश्चित किया जाये। यूनिफार्म वितरण का प्रारम्भ समारेह आयोजित कर किया जाये, जिसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य अनिवार्यतः उपस्थित रहें।

20. निःशुल्क यूनिफार्म से सम्बन्धित लेखों का रख-रखाव विद्यालय की उक्त क्रय समिति द्वारा किया जायेगा तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में सभी सदस्यों को सार्वजनिक किया जायेगा।

21. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा निःशुल्क यूनिफार्म से सम्बन्धित समस्त देयकों का भुगतान आपूर्तिकर्ता को एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

22. निःशुल्क यूनिफार्म हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र विद्यालय की क्रय समिति द्वारा धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

23. निःशुल्क यूनिफार्म से सम्बन्धित अभिलेखों व सैम्पलों का रखरखाव सम्यक प्रकार से इस तरह किया जायेगा कि सम्परीक्षा/अनुश्रवण के समय प्रस्तुत किया जा सके।

24. यूनिफार्म के क्रय के सम्बन्ध में सर्व शिक्षा अभियान के प्रोक्योरमेन्ट एवं वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाये।

25. छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराते समय उनकी डिजिटल फोटो खींची जाये, जिसमें प्राधानाध्यापक/अध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य भी उपस्थित रहें। फोटो की प्रिन्टेड प्रति अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाये।

26. छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित की जाती है :-

गतिविधि	अवधि/दिनांक
यूनिफार्म हेतु छात्र-छात्राओं का नाप प्राप्त करना।	15 से 31.05.2013
राज्य परियोजना कार्यालय से जनपदों को धनराशि का हस्तान्तरण।	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही जनपदों को

--3--

	प्रेषित की जायेगी।
जनपद स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में धनराशि का हस्तान्तरण तथा जनपद स्तर से विद्यालय प्रबन्ध समिति को दिशा निर्देश जारी करना।	31.05.2013 तक
छात्र–छात्राओं के लिए यूनिफार्म की व्यवस्था	15.06.2013 से 14.07.2013
वांछित संख्या में निर्धारित मानको एवं बच्चों की नाप के अनुरूप यूनिफार्म विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाना।	15.07.2013 तक
विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा यूनिफार्म का सत्यापन।	22.07.2013 तक
विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र–छात्राओं को यूनिफार्म के वितरण हेतु निर्धारित अवधि ।	23–31 जुलाई 2013

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को 02 सेट यूनिफार्म का वितरण दिनांक 31 जुलाई 2013 तक सुनिश्चित करें तथा संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रगति की सूचना माह 07 अगस्त 2013 तक एवं तदोपरान्त प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रगति आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 निशुल्क यूनिफार्म / 338 / 2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल उ0प्र0 ।
3. श्रमायुक्त उ0 प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
4. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद उ0प्र0।
5. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, सम्बन्धित जनपद उ0प्र0।
6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
7. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
9. अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
11. संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, समस्त मण्डल उ0प्र0।
12. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल उ0प्र0।
13. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।
14. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी,सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक बे0शि0प0/ 17451-539 /2005–06 दिनांक 02 दिसम्बर 2005

विषय:– उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं हेतु यूनीफार्म का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं हेतु यूनीफार्म के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व पत्रांक बे0शि0प0/ सा–3/ 13921–14006/ 2002–03 दिनांक 18–12–2002 का सन्दर्भ लें जिसके आधार पर संबंधित विद्यालयों में यूनीफार्म लागू करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त पत्र द्वारा निर्देशित यूनीफार्म के स्थान पर शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या –4457/ 79–5–2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के कम में यूनीफार्म का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

कक्षा– 1 से 5 तक	बालकों के लिए डार्क ग्रे पैन्ट तथा आसमानी रंग की कमीज ।
	बालिकाओं के लिए डार्क ग्रे स्कर्ट तथा आसमानी रंग की कमीज ।
कक्षा 6 से 8 तक	बालकों के लिए डार्क ग्रे पैन्ट तथा आसमानी रंग की कमीज ।
	बालिकाओं के लिए सफेद रंग की सलवार तथा आसमानी रंग का कुर्ता अथवा डार्क ग्रे स्कर्ट व आसमानी रंग की कमीज ।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विद्यालयों में निर्धारित यूनीफार्म हेतु अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,
2.12.05

डा0(आई0पी0शर्मा)
सचिव,
उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद

पृ०सं०बे०शि०प०/ 17451-539/ 2008-09 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ।

2- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-5 अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

ह०(अपठनीय) 2.12.08

सचिव,

उ०प्र०बेसिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद

सर्व शिक्षा अभियान

निःशुल्क यूनिफार्म वितरण प्रगति पत्र- 2013–14

जनपद.................................. माह

क्र० सं०	विवरण	विद्यालयों की संख्या	निःशुल्क यूनिफार्म का भौतिक लक्ष्य					माह तक दो सेट यूनिफार्म का वितरण							
			सभी बालिकायें	अनु०बालक	अनु०जा० बालक	गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालक	योग	विद्यालयों की संख्या जहाँ वितरण कार्य पूर्ण हो गया है	प्रतिशत	छात्र संख्या जिनको यूनिफार्म वितरित हुयी: सभी बालिकायें	अनु०बालक	अनु०जा० जाति बालक	गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालक	योग	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय														
	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय														
	राजकीय प्राथमिक विद्यालय														
	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय														
	माध्यमिक विद्यालय (राजकीय)														
	अनुदानित प्राथमिक विद्यालय														
	अनुदानित उच्च प्राथमिक विद्यालय														
	सहायतित माध्यमिक विद्यालय														
	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय														
	बालश्रम उन्मूलन विद्यालय														
	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय														
	योग														